मुखर हिंदू

प्रखर राष्ट्र

# भारत रक्षा मंच

(पंजीयन क्र. : 1006-2011नई दिल्ली)

# प्रस्ताव

## जुलाई 2023

## राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

दिनांक : 22-23 जुलाई 2023

अखनूर, जम्मू

# प्रार्थना

हे जगतपिता जगदीश्वर, यह गुण अपने में पाऊँ ।
भारत के हित में जनमू, भारत के हित मर जाऊँ ॥
चाहे राणा सम मुझको, तू बन बन में भटकाना ।
चाहे तज भोग रसीले, सूखी ही घास खिलाना ।
पर ध्येय बिना धरती पर, मैं जीवित ना रह पाऊँ ॥
हे जगतपिता जगदीश्वर, यह गुण अपने में पाऊँ ।
भारत के हित में जनमू, भारत के हित मर जाऊँ ॥

प्रति श्री,

महोदय/महोदया,

.....

.....

.....

.....

भारत रक्षा मंच एक राष्ट्रव्यापी संगठन है जो देश की अखंडता और संप्रभुताबनाये रखने के लिये कटिबद्ध है। हम सन 2010 से राष्ट्रीय नागरिकता सूचीके लिये आग्रहपूर्वक काम रहे है और देश के 24 राज्यों में काम कर रहे है। हम सभी नागरिकों में भारतीयता को सशक्त करने हेतु कार्य करते हुए संविधान द्वारा दिये गए समानता के मूलमंत्र को देश मे व्यवस्थित रूप सेप्रस्थापित करने हेतु कार्य कर रहे है। इसी दृष्टि से हमारी कुछ माँगे है जो हम ज्ञापन स्वरूप आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे है। हमे पूर्ण विश्वास है कि आपराष्ट्रहित में इस ज्ञापन का यथायोग्य अध्ययन करके इन विषयों पर योग्यकार्यवाही करेंगे।

**आपका अपना**

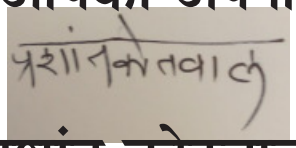

**( प्रशांत कोटवाल )**

**राष्ट्रीय संगठन मंत्री : भारत रक्षा मंच**

**मोबाईल : 99678 40996, 83696 27278**

# भारत रक्षा मंच

## राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

## दिनांक : 22 – 23 जुलाई 2023, अखनूर, जम्मू

## बैठक वृत्त

हमारी भारत रक्षा मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 22 और 23 जुलाई 2023 को जम्मू कश्मीर प्रांत के अखनूर नगर में कामेश्वर मंदिर परिसर में सम्पन्न हुई।

इस बैठक में देशभर से से 27 प्रांतों से 101 प्रतिनिधि आये जिनमें से 19 महिलाएँ रही। मणिपुर, आसाम, बंगाल, आन्ध्र, केरल जैसे दूर के प्रदेशों से प्रतिनिधि उपस्थित रहे जिससे बैठक स्थान पर लघु भारत का चित्र दिखाई दे रहा था।

दिनांक 22 जुलाई 2023 को सुबह 10 बजे से बैठक आरम्भ हुई और 23 जुलाई 2023 को सायंकाल 4.30 बजे समाप्त हुई।

यह बैठक सुचारू रूप से चले इसलिये एक संचालन समिती का गठन किया गया था जिसके प्रमुख हमारे राष्ट्रीय मंत्री एवं पूर्व क्षेत्र संगठन प्रमुख श्री सुजीत पाठकजी। संचालन समिती के अन्य सदस्य निम्नानुसार थे –

1. श्री इलेवान ठाकरजी, गाँधीनगर, गुजरात – कार्यक्रम प्रमुख
2. श्री प्रशांत परमरजी, अहमदाबाद, गुजरात – कार्यक्रम सह प्रमुख
3. श्री भूषण तिलकजी, नासिक, उत्तर महाराष्ट्र– आवास प्रमुख
4. श्री संदीप जपेजी, नागपुर, विदर्भ – कार्यालय प्रमुख
5. श्री रोहित भरीजाजी, दिल्ली – कार्यालय सह प्रमुख
6. श्री रामदास गोयलजी, गाझीयाबाद, मेरठ प्रान्त – प्रमुख नियंत्रक एवं भोजन व्यवस्था
7. श्री विद्यासागर शर्माजी, जम्मू – नियंत्रक
8. श्री आशीष बजपाईजी, देहरादून, उत्तराखण्ड – नियंत्रक
9. श्रीमती अंजुबेन पटेल, खारघर, कोंकण प्रान्त – महिला नियंत्रक

इस संचालन समिती के साथ स्थानीय व्यवस्था समिती ने मिलकर कार्यक्रम सुचारू रूप से चले इसकी जिम्मेदारी खूब निभाई।

दिनांक 22 जुलाई 2023 को सुबह 10 बजे से सत्र आरम्भ हुए। प्रथम सत्र उद्घाटन का रहा जिसमे राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा और संगठन प्रमुख, उत्तर क्षेत्र संगठन प्रमुख, जम्मू कश्मीर प्रांत अध्यक्ष आदि अधिकारियों के करकमलों से दिप प्रज्वलन और भारतमाता और छत्रपती शिवाजी महाराज की प्रतिमाओं को माल्यार्पण

किया गया।

प्रांत अध्यक्ष द्वारा स्वागत भाषण हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षजी द्वारा उद्बोधन हुआ और आपने संचालन समिती प्रमुख का परिचय कराया गया। तत्पश्चात संचालन समिती प्रमुख श्री सुजीत पाठकजी ने संचालन समिती के अन्य सदस्यों का परिचय कराया।

मा. डॉ. अशोक आचार्यजी, राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा दिसम्बर 2022 में हैदराबाद में सम्पन्न हुई अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का वृत्त पठण हुआ जिसके उपरांत श्री प्रशांत कोतवाल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री द्वारा भारत रक्षा मंच का अब तक का प्रवास, हमारा कार्य, हमारी उपलब्धियाँ, हमारे उद्देश्य इन विषयों पर उद्बोधन हुआ।

इस सत्र की विशेषता रही कि कामेश्वर मंदिर के महामंडलेश्वरजी का आशीर्वचन हुआ और हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री सूर्यकांतजी केळकर का मार्गदर्शक उद्बोधन हुआ।

साथ ही सत्र के आरंभ में ही हमारे राष्ट्रीय संयोजकजी के छोटे भाई और समय समय पर हम सभी को मार्गदर्शन देनेवाले, इण्डिया की पाश्चात्य संस्कृती को शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से भारत बनाने में जीवनभर प्रयत्नशील रहनेवाले और स्वदेशी का अभिमान समाज मे जागृत करनेवाले स्व. श्री दिलीपजी केळकर की दो मिनिट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि दी गयी।

इसके बाद क्षेत्रश: बैठकें हुई जो क्षेत्र संगठन प्रमुखों ने चलाई। जहाँ क्षेत्र संगठन प्रमुख अनुपस्थित थे ऐसे कुछ क्षेत्रों से आये हुए प्रतिनिधियों को दूसरे क्षेत्र के साथ बिठाया गया। इस सत्र में प्रांतश: वृत्त संकलन हुआ और प्रतिनिधियों का परस्पर परिचय भी।

इसके पश्चात भोजन एवं विश्राम के उपरांत क्षेत्र संगठन प्रमुखों द्वारा वृत्त प्रस्तुती एवं समीक्षा हुई। सामान्यत: यह प्रतीत हुआ कि लगभग सभी प्रांतों में कार्यकारिणी गठन पर हम सभी को अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा।

**सत्र क्र. 3 में प्रस्ताव रखे गए और पारित भी किये गए। प्रस्तावों के विषय निम्नानुसार थे –**

1. देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में NRC की प्रक्रिया एक साथ की जाए – **श्री सूर्यकान्तजी केळकर**
2. मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराकर हिन्दू समाज को सौंपा जाए – **श्री प्रशांत कोतवाल**
3. भारत के सुप्रीम कोर्ट एवं देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी जाए – **एड. श्री विभकारजी मिश्रा**
4. सरकारी जमीनों और संपत्ति से सभी प्रकार के अतिक्रमण को हटाया जाए और विशेषत: बढ़ते और फैलते हुए मजारों से जंसम्पत्ति को मुक्त किया जाए – **श्री लक्ष्मीनारायणजी शर्मा**
5. समान नागरिक संहिता (UCC) को जल्द से जल्द लागू किया जाए – **श्री सुजितजी पाठक**

ये सारे प्रस्ताव प्रत्येक प्रतिनिधि को दिए गए फोल्डर में सम्मिलित किये गए है और इन सभी विषयों पर हर प्रांत केंद्र पर अगस्त की समाप्ति तक ये ज्ञापन दिए जाएं यह निश्चित हुआ जिसकी चिंता क्षेत्रीय

संगठन प्रमुख, प्रांत महामंत्री और प्रांत संगठन मंत्री करें।

इसके बाद प्रतिनिधियों को भ्रमण के लिये खुला समय दिया गया था। तत्पश्चात भोजन उपरांत मनोरंजन सत्र हुआ जिसमें आये हुए प्रतिनिधियों ने अपनी कला का बढ़िया प्रदर्शन दिया। रात की 11 बजे दिप विसर्जन हुआ।

अगले दिन 23 जुलाई 2023 की सुबह 5.30 बजे जागरण के उपरांत 6.30 से 7.00 बजे तक डॉ. श्रीमती सरोज सोनीजी ने योग एवं खेल का सत्र लिया जिसमे आये हुए प्रतिनिधियों ने सहभाग लिया।

अल्पाहार के उपरांत दायित्वानुसार बैठकें हुई जिनमे निम्नानुसार 4 समूह बैठे –

1. अध्यक्ष – राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षजी द्वारा बैठक चलाई गई
2. महामंत्री – राष्ट्रीय महामंत्रीजी द्वारा बैठक चलाई गई
3. संगठन मंत्री एवं कोषाध्यक्ष – राष्ट्रीय संगठन मंत्री द्वारा बैठक चलाई गई
4. प्रकोष्ठों की बैठकें – राष्ट्रीय संयोजकजी द्वारा बैठक चलाई गई

इसमे अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ, हमारे काम और आगे किस प्रकार से काम किये जायें इन विषयों पर चर्चा हुई।

इसके उपरांत राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री के नेतृत्व में सद्य स्थिति पर चर्चा हुई जिसमें आये हुए प्रतिनिधियों ने अपने मत प्रकट किये। विपक्ष ने बनाये हुए गठबंधन I.N.D.I.A. की वैधता से लेकर लव्ह जिहाद और मणिपुर हिंसा पर चर्चाएँ हुई। अधिकांश चर्चा मणिपुर हिंसा पर हुई और यह तय हुआ कि 30 जुलाई को '**मैतेई समर्थन दिवस**' के रूप में मनाया जाए। सभी प्रांत केंद्रों पर प्रदर्शन, ज्ञापन प्रदान, पर्चा वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजीत किये जायें।

इसके बाद चाय का अवकाश हुआ और तत्पश्चात प्रगट कार्यक्रम हुआ जिसमें नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। अन्य हिन्दू संगठनों के प्रतिनिधि, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, संत समाज से महात्मा ऐसे महानुभावों की उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। इस सत्र में जम्मू प्रदेश ने सभी अतिथियों का एवं सम्पूर्ण राष्ट्रीय संगठन समिती का सम्मानचिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मान किया।

दोपहर भोजन के उपरांत समापन सत्र हुआ जिसमें सर्वप्रथम प्रतिनिधियों से सुझाव लिये गए। इसके बाद मा. राष्ट्रीय महामंत्रीजी ने भावी कार्यक्रमों की घोषणा की –

| | |
|---|---|
| **14 अगस्त 2023, विभाजन विभीषिका दिवस** | – अधिकतर स्थानों पर सेमिनार, पर्चा वितरण, प्रेस वार्ता जैसे कार्यक्रम हो |
| **30 अगस्त 2023, रक्षा बंधन** | – हमारे वीर सैनिको को हमारी महिला कार्यकर्ताओं द्वारा राखी बाँधी जाए; पिछड़े वर्ग की बस्तियों में भी रक्षा बंधन का कार्यक्रम अवश्य किया जाये |
| **7 सितंबर 2023, जन्माष्टमी** | – जन्माष्टमी का कार्यक्रम सामूहिक रूप से मनाया जाए |
| **19 सितंबर 2023, गणेश चतुर्थी** | – हमारे प्रत्येक कार्यालय में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाये |

| | | |
|---|---|---|
| **22 2023, दुर्गाष्टमी** | - | लाठी अभियान |
| **24 अक्टूबर 2023, विजयादशमी** | - | प्रत्येक शाखा शस्त्रपूजन करे |
| **12 - 15 नवंबर 2023, दीपावली पर्व** | - | हर शाखा में दिपावली मिलन कार्यक्रम अवश्य हो |
| **24 नवंबर 2023, गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस** | - | प्रत्येक शाखा अनिवार्य रूप से मनाये - कार्यक्रम द्वारा लोगो को गुरु तेग बहादुरजी के बलिदान का सच्चा इतिहास पता चले और हिन्दू सिख बंधुत्व पता चले ऐसे कार्यक्रम आयोजीत किये जायें |

**26 - 27 जनवरी 2024, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक**

इसके बाद प्रांतों द्वारा आये सुझावों के अनुसार इस बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों में से कुछ प्रतिनिधियों को प्रांत स्तरों पर नए दायित्व दिए गए जिनकी घोषणा राष्ट्रीय संगठन मंत्री द्वारा की गई।

एक अखिल भारतीय घोषणा भी की गई - हमारे मछुवारा प्रकोष्ठ की घोषणा हुई जिसके संगठन प्रमुख श्री पाण्डुरंगजी नाईक होंगे।

एक महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार लिया गया - हम हर 6 माह में जो वृत्त संकलन करते है उसकी जगह पर अब से प्रति माह वृत्त संकलन होगा। हर महीने की 7 तारीख तक प्रत्येक प्रांत अपनी पीछले महीने की गतिविधियों का वृत्त लिखीत रूप में अपने क्षेत्र संगठन प्रमुख के पास देंगे जिसकी एक कॉपी क्षेत्र संगठन प्रमुख हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अशोक आचार्यजी को हर महीने की 15 तारीख के पहले भेजेंगे।

इसीके साथ महामंत्रीजी द्वारा समापन भाषण हुआ और कार्यकारिणी बैठक के समापन की घोषणा की गई।

**इति वृत्त.....**

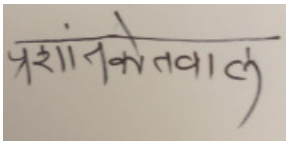

**( प्रशांत कोतवाल )**
**राष्ट्रीय संगठन मंत्री : भारत रक्षा मंच**
**मोबाईल : 99678 40996, 83696 27278**

# प्रस्ताव – 1

## देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशो में NRC की प्रक्रिया एक साथ की जाये।

वर्तमान बांग्लादेश से भारत में निरन्तर और प्रतिदिन घुसपैठ चल रही है। यह बात आज लोगो से छुपी नही है। यह घुसपैठ त्रिपुरा, आसाम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के रास्ते होते आई है जिसका एक कारण तथाकथित बुध्धिजीवी और सेक्यूलरी लोग बांग्लादेश की गरीबी बताते है।

अंग्रेजो के शासनकाल से लेकर वर्तमान समय तक चली आने वाली यह घुसपैठ कोई सामान्य नही, प्रतिदिन औसतन 5000 लोग अवैध रूप से सीमा लाँघकर आते है, यह बात कई अभ्यासको ने सुनिश्चित की है। पहले यह घुसपैठ पूर्व बंगाल प्रांत से होती थी, 1947 मे पाकिस्तान बनने के बाद 1971 तक पूर्व पाकिस्तान से यह सिलसिला चलता रहा ओर तत्पश्चात बंग्लादेश से भी यही चलता आ रहा है।

इस घुसपैंठ के दो पहलु है (1) बांग्लादेश से भारत आने वाले मुसलमान, (2) बांग्लादेश से भारत आने वाले गैर मुस्लीम जो वहाँ के अल्पसंख्यक है।

बांग्लादेश से आने वाले गैरमुस्लीम लोग जिनमे अधिकांश हिन्दू है, वहा उनके उपर होने वाले ईस्लामी अत्याचोरो के कारण धार्मिक उत्पीडन से बचने के लिए भारत मे घुसपैठ करके आ रहे है जिन्हे मोदी सरकारने CAA बनाकर राहत दी है।

घुसपैंठियों का जो दूसरा वर्ग है वह है वहाँ के गरीब मुसलमान जिन्हे बहला फुसला कर जमायते ईस्लाम जैसे ईस्लामी कट्टरपंथी संगठन भारत मे भेजते है। भारत मे ईनकी सहायता पहले ईन्डीयन मुजाहिदीन करता था जीसका नाम बादमे पोप्युलर फ्रन्ट ओफ ईन्डीया (PFI) और अब विविध छोटे छोटे उसके गुट (मोड्युल्स) करते है। यह सारा ईसलिये किया जा रहा है कि भारत मे मुसलमानो की जनसंख्या बढ़े जिससे मुस्लीम प्रभुत्व प्रस्थापित किया जा सके। मुस्लीम प्रभुत्व प्रस्थापित होते ही वह क्षेत्र एक प्रकार से ईस्लामिक क्षेत्र बन जाता है और वहाँ अन्य धर्मावलंबियो का रहना असंभव हो जाता है। इस प्रकार का आधुनिक ईस्लामी आक्रमण विश्व के सभी गैर मुस्लीम देशोने अनुभव किया है और कर भी रहे है। इस सब के चलते आसाम मे बड़ी अशांति फैली जिसका परिणाम आसाम अकोर्ड निकला जिसमे 24 मार्च 1971 तक घुसपैठ करके आये हुए बांग्लादेशी मुसलमानो को भी नागरिक्ता प्रदान की गई। किन्तु 25 मार्च 1971 से लेकर आज तक यह घुसपैठ चलती ही रही। आज आसाम मे एसी गंभीर स्थिती उत्पन्न हुई है कि वहाँ के मूल निवासी ही

अल्पसंख्यक बनने की कगार पर है। इस विषय मे 1998 में आसाम के तत्कालीन राज्यपाल महोदय लेफ. जनरल स्व. एस. के. सिन्हा जी (सेवनिवृत्त) ने तत्कालीन राष्ट्रपती स्व. के.आर. नारायण जी को लिखे पत्र मे कहा था कि बांग्लादेश से होने वाली अनियंत्रीत घुसपैठ के कारण राज्य में जनसांख्यिकी असंतुलन निर्माण हुआ है, जिसके कारणवश आज असमीया लोग अल्पसंख्यक बनने की कगार पर है, ठीक उसी प्रकार जैसे त्रिपुरा और सिक्कीम मे हुआ। इस परिस्थिती से अपने ही राज्य में असमीया लोग अल्पसंख्यक बनेंगे और उनका सांस्कृतिक और राजनैतिक अस्तित्व ही संकट मे आयेगा, वे बेरोजगारी का शिकार बनेंगे। आज यही स्थिती देशभर मे फैली हुई दिखाई देती है। चाहे वस्त्र उत्पादन क्षेत्र हो सडक एवं ग़ृहनिर्माण क्षेत्र, चाहे सोने के गहने बनाने वाले कारीगर हो या घरेलु कामगार, चाहे निजी सुरक्षा एजन्सीयों के सुरक्षा रक्षक हो या नगर निगमो की कचरा उठाने वाली गाडीयाँ, सभी क्षेत्रोमे बांग्लादेशी घुसपैठीये मजदुरी करते हुए दिखाई देते है। यह मामला यही तक सिमीत न रहते हुअे सब्जी फल के ठेले, कबाड का व्यवसाय, ओला उबर मे टेक्षी ओटो चालक ऐसी सभी जगह पर फैल चुका है। परिणामवश भारत का गरीब नागरिक बेरोजगार होता जा रहा है और देश के सभी संसाधनो पर अवैध घुसपैठीयों का कब्जा होता जा रहा है।

दिसम्बर 2019 मे आसाम मे NRC अपडेशन की प्रक्रिया हमारे प्रयत्नो और सरकार की ईच्छा शक्ति के कारण सम्पन्न तो हुई, किन्तु जहाँ केवल आसाम मे घुसपैठीयों की अनुमानीत संख्या 70 से 80 लाख थी उनमे से केवल 19,22,851 घुसपैठीयों की ही पहचान हुई। इस विषय में 19 मई 2022 को तत्कालीन राज्य कोर्डीनेटर श्री हितेष देव शर्मा जी का स्पष्ट मत था कि इस प्रक्रिया में उनके पहले के राज्य कोर्डीनेटर ने घोटाला किया है और उनके विरुध्ध एफ.आई.आर. भी की है।

देश को जनसांख्यिकी असंतुलन से बचाने के लिये और भारत की प्राचिन संस्कृति को बचाये रखने के लिये एवं देश का ईस्लामीकरण न हो इस दृष्टी से भारत रक्षा मंच यह माँग करता है कि आसाम सहित संपूर्ण देश मे, अर्थात सभी राज्यो एवं केन्द्र शासित प्रदेशो में, एक साथ NRC की प्रक्रिया की जाये जिससे (1) घुसपैठीयो की पहचान हो सके (डीटेक्ट), (2) घुटपैठीयों के नाम सभी सूचीयों मे से निकाले जा सके (डीलीट), (3) उन्हे देश से बहार निकाला जा सके (डीपोर्ट)

**- सूर्यकान्त केलकर**

**राष्ट्रीय संयोजक : भारत रक्षा मंच**

# प्रस्ताव – 2

## मठ-मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराकर हिन्दू समाज को सौंपा जाये

## मस्जिद, दरगाह और चर्च पर सरकारी नियंत्रण नहीं तो मठों-मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण क्यों... ?

भारत में मस्जिद, दरगाह और चर्च पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है लेकिन मठों-मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। देश में 70 सालों तक सत्ता में रही कांग्रेस ने हिंदू संस्कृती को समाप्त करने के लिए ऐसे कानून बनाए हैं। बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या की उपेक्षा और मुसलमानों से प्रेम अथवा मुस्लिम गुण्डागर्दी के आगे घुटने टेकने का यह उदाहरण है। इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठती रही है और साधु-संत इसका पुरजोर विरोध करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील श्री अश्विनी उपाध्यायजी ने इस संबंध में मठों और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की माँग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि धर्मनिरपेक्ष देश में जब संविधान किसी भी तरह के धार्मिक भेदभाव की मनाही करता है तब पूजा स्थलों के प्रबंधन को लेकर भेदभाव क्यों होना चाहिए? याचिका में माँग की गई है कि जैसे मुस्लिमों और ईसाईयों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों, प्रार्थना स्थलों का प्रबंधन बिना सरकारी दखल के किया जाता है वैसे ही हिंदूओ को भी अपने धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और प्रशासन का अधिकार होना चाहिए।

सरकारी हस्तक्षेप के कारण मंदिरों और मठों की स्थिति दिनोंदिन खराब होती जा रही है। मंदिरों- मठों की संपत्ति का उचित प्रबंधन नहीं होने से इनके पास धनाभाव हो गया है। भारी संख्या में मंदिर और मठ बंद हो गए हैं। एक अनुमान के अनुसार देश के 15 राज्यों में करीब चार लाख मंदिरों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण है। हिंदू संगठन इसका लगातार विरोध करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जे को कई मौकों पर अनुचित कह चुका है। 2019 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में जस्टिस (रिटायर्ड) बोबडे ने कहा था, 'मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी अफसरों को क्यों मंदिर का संचालन करना चाहिए?' उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया कि सरकारी नियंत्रण के दौरान वहाँ अनमोल देव-मूर्तियों की चोरी की अनेक घटनायें होती रही हैं। ऐसी स्थितियों के कारण भक्तों के पास अपने मंदिरों के संचालन का अधिकार न होना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में तमिलनाडु के प्रसिद्ध नटराज मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का आदेश दिया था।

इसपर ट्विटर यूजर Agenda Buster ने ट्वीट की एक श्रृंखला जारी की है जिसमें उन्होंने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1951 (Hindu Religious and Charitable Endowments Act 1951) की चर्चा की है। इसके साथ ही इस पर भी चर्चा की गई है कि भारत में चर्च और मस्जिद स्वतंत्र हैं तो मंदिर क्यों नहीं? मंदिर की दान पेटी में दिया आपका चढ़ावा कहाँ जाता है?

हमारे मंदिर न केवल पूजा स्थल थे, अपितु हिंदू दर्शन, कला और संस्कृति के सीखने के केंद्र भी थे। सभी राजाओं ने अपने समय में मंदिर बनवाये थे और ये मंदिर मुगलों और अंग्रेजों के समय भी प्रतिरोध का केंद्र बने थे। मुगलों ने मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया किन्तु उन्होंने इसे नियंत्रित नहीं किया। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं अंग्रेजों ने भी समय-समय पर यह प्रयास किया परंतु वे असफल रहे। 1863 में अंग्रेजों ने अधिनियम लाया और हिंदू मंदिरों को पूर्ण स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता संग्राम के समय ये मंदिर स्वतंत्रता सेनानियों की सभाओं के स्थान भी बने।

1925 तक अंग्रेजों ने हिंदुओं के मन में 3 प्रकार के हलाहल का इंजेक्शन लगा दिया। वे तीन हलाहल थे :

**( 1 ) जाति और सामाजिक न्याय :** निचली जातियों पर उच्च जाति के अत्याचारों की कथा

**( 2 ) आर्य द्रविड़ :** उत्तर भारतीय मध्य यूरोप से आए थे, दक्षिण भारतीय भारत के मूल निवासी थे

**( 3 ) ब्राह्मणवादी पितृसत्ता :** ब्राह्मण या आर्य बुरे हैं, वे निचली जातियों को मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं

इसका लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने 1925 में मद्रास धार्मिक और धर्मार्थ दान अधिनियम लाकर सभी धर्मों के सभी धार्मिक स्थलों को अपने अधिकार में ले लिया। जब मुस्लिम और ईसाई ने विरोध किया तो उन्होंने चर्च और मस्जिद को छोड़ दिया लेकिन मंदिर को नहीं छोड़ा। गाँधी और नेहरू ने कभी इसका विरोध नहीं किया और हिंदू सोते रहे।

1947 में भारत को स्वाधीनता मिली और 1950 में हमें अपना संविधान मिला, जिसने हमें अनुच्छेद 26 दिया। इसका अर्थ है कि सरकार किसी भी धर्म की धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और हिंदूओं ने अपना मंदिर वापस ले लिया। लेकिन कुटिल कांग्रेस नहीं रुकी, वे हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1951 लेकर आए।

**क्या कहता है यह अधिनियम :**

- राज्य कानून बना सकता है और मंदिरों पर कब्जा कर सकता है (मस्जिद और चर्च नहीं)
- वे किसी भी धर्म के किसी भी प्रशासक को मंदिर का अध्यक्ष या प्रबंधक नियुक्त कर सकते हैं
- वे मंदिर के पैसे ले सकते हैं और किसी भी उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं
- वे मंदिर की जमीन बेच सकते हैं और उस पैसे का किसी भी उद्देश्य से उपयोग कर सकते हैं
- वे मंदिर की परंपराओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं

कांग्रेस शासित तमिलनाडु ने इस अधिनियम का उपयोग किया और अपना धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 लाया और राज्य के सभी 35,000 मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कई और राज्यों ने इस तरह के अधिनियम लाए और राज्य के मंदिरों पर अधिकार कर लिया। आज 15 राज्यों ने भारत में लगभग 4 लाख मंदिरों पर कब्जा कर लिया है (भारत में 9 लाख मंदिर हैं)।

जब आप मंदिर जाते हैं और दान पेटी में पैसे देते हैं तो 11, 21, 51,101 रुपये कहां जाते हैं? सरकार की जेब में जाते है। हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का हिंदू धन जो हम अपने धर्म के लिए मंदिर

में देते हैं, वह सरकार की जेब में जाता है और सत्ताधारी दल इसका उपयोग उनके राजनीतिक स्वार्थ के लिये करते है जैसेकि वोटबैंक के लिये मुस्लिम तुष्टिकरण हेतु आपके पैसे लुटाना। सरकार इस पैसे का उपयोग मदरसा, चर्च और अन्य कार्यों के लिए करती है। लगभग 10-15% पैसा हिंदू धर्म के काम में लाया जाता है जबकि बाकी अन्य कामों में जाता है।

कर्नाटक सरकार को एक साल में मंदिर से 79 करोड़ रुपये मिले। उन्होंने मंदिर पर 7 करोड़ रुपये, मस्जिद पर 59 करोड़ रुपये और चर्च पर 5 करोड़ रुपये खर्च किए। आंध्र प्रदेश सरकार को तिरुपति मंदिर से प्रति वर्ष 3100 करोड़ रुपये मिलते हैं। उस पैसे का 18% मंदिर पर खर्च होता है और बाकी चर्च पर खर्च किए जाते हैं। इसके साथ ही इस पैसे का दुरुपयोग धर्मांतरण के लिए किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी, जो कि स्वयं ईसाई हैं, ने अपने चाचा को तिरुपति बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसने 10 मंदिरों को नष्ट कर दिया और उस जमीन को गोल्फ कोर्स के रूप में उपयोग में लाया। चर्च भारत में हजारों स्कूल चलाता है लेकिन मंदिर कोई स्कूल नहीं चला सकता क्योंकि मंदिर का पैसा मंदिरों में नहीं है।

मंदिर अब सभ्यता के केंद्र नहीं रहे जैसा कि वे 1925 से पहले थे। चूंकि सरकार ने उन्हें केवल पूजा स्थल के रूप में सीमित कर दिया, इसलिए हिंदू सभ्यता का विकास रुक गया। हमारे पूर्वजों ने इन मंदिरों में बहुत सारा खजाना रखा हुआ था, उन्होंने सोचा कि यह पैसा संकट में हमारी मदद करेगा लेकिन अब तक उसकी लूट ही होती रही है। पुरी मंदिर के रत्न भंडार का क्या हुआ? हमारे मंदिरों से प्राचीन मूर्तियों की तस्करी की गई और उनकी जगह दूसरी प्रति लगाई गई। शायद यही कारण था कि कांग्रेस ने मंदिरों पर ही अधिकार कर लिया।

इस धर्मनिरपेक्ष लूट में चारों स्तम्भ एक साथ हैं। विधायिका ने बनाया असंवैधानिक कानून और लूटा मंदिर, न्यायपालिका जो संविधान की रक्षक है उसे मूर्खतापूर्ण तर्क देकर इसे होने दिया गया, मीडिया ने आंखें मूंद लीं और हमें इस मंदिर की लूट के बारे में कभी नहीं बताया और कार्यपालिका ने इस लूट को अंजाम दिया। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली कोई भी चीज अपने आप धर्मनिरपेक्ष हो जाती है, इसलिए सरकार मंदिर पर अधिकार कर लेती है। यह अब कोई धार्मिक स्थान नहीं है और यह धर्मनिरपेक्ष स्थान बन जाता है और सर्वोच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, सबरीमाला इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।

भारत में चर्च और मस्जिद स्वतंत्र हैं। वे सरकार को कोई पैसा नहीं देते हैं बल्कि उन्हें सरकार से पैसा मिलता है। कई सरकारें मौलवी को वेतन देती हैं वहीं दूसरी ओर मंदिर के पुजारी को वेतन देना तो दूर वे हिंदू मंदिर से हर साल 1 लाख करोड़ रुपये लेते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देते हैं।

1947 के बाद भारत में जिन अत्याचारों का सामना हिंदू कर रहे हैं, उन्हें औरंगजेब के समय भी इसका सामना नहीं करना पड़ा और उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं है। जल्द ही वे सभी मंदिरों को नष्ट कर देंगे जैसा कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में हो रहा है। वे मुस्लिम को पुजारी के रूप में नियुक्त करेंगे, वे परंपरा को बदल देंगे।

कुछ धर्म निरपेक्ष लोग तर्क देते हैं कि अगर मंदिर को आजादी मिल गई तो ट्रस्ट मंदिर का प्रबंधन नहीं

कर पाएगा और भ्रष्टाचार होगा। हमें यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे संप्रदायों ने 10 हजार वर्षों तक मंदिरों का प्रबंधन किया है और यह 1925 तक किया गया।

मंदिर चले गए, हिंदू सभ्यता चली गई। हमारे राजाओं ने मंदिर को नियंत्रित किया लेकिन मंदिर से कभी पैसा नहीं लिया लेकिन इन धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने.... ! इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इस पर रोक लगनी चाहिए। यह पक्षपात सिर्फ हिन्दुओं के साथ ही क्यों ?

अधिनियम नहीं हैं, ये कांग्रेस सरकार द्वारा उपहार में दी गई हिंदू संस्कृति को समाप्त करने के लिए अभिशाप हैं।

1) वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995
2) पूजा स्थल अधिनियम 1991
3) अल्पसंख्यक अधिनियम 1992
4) अनुच्छेद 28 और 30
5) सच्चर समिति 2005
6) हलाल प्रमाणन
7) हिंदू धर्मार्थ और धार्मिक अधिनियम

**इस समस्या का समाधान हमारी निम्न माँगो में है :-**

1) हिन्दू मठ-मंदिरों को भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें त्वरित अपने नियंत्रण से मुक्त करें
2) केन्द्र सरकार एक राष्ट्रव्यापी हिन्दू बोर्ड को मान्यता दे जिसके अधिकारी और सदस्य संत समाज और धर्माचार्य तथा नि:स्वार्थ भाव से हिन्दू समाज के अधिकारों के लिये काम करनेवाले समाजसेवी हो
3) हिन्दू मठ-मंदिरों का प्रबंधन इस हिन्दू बोर्ड का दायित्व हो
4) हिन्दू मठ-मंदिरों को भी वैसा ही सरकारी सहयोग मिले जैसा चर्च और मस्जिदों एवं मदरसों को मिलता है।

**- प्रशांत कोतवाल**
**राष्ट्रीय संगठन मंत्री : भारत रक्षा मंच**

# प्रस्ताव – 3

## भारत के सुप्रीम कोर्ट एवं देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के संबंध में प्रस्ताव

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 1ए में यह व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में उपयोग की भाषा अंग्रेजी होगी। साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 348 (2) मे ये भी व्यवस्था है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से हिन्दी भाषा ओर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग हाई कोर्ट की भाषा के रूप में लागु करने की अनुमति दे सकता है।

लेकिन सविंधान की इस व्यवस्था के बाबजूद भी आज तक देश के बिभिन्न हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में ये व्यवस्था लागु नहीं की जा सकी।

**अतः में भारत रक्षा मंच की तरफ से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हु कि सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न हाई कोर्ट मे अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओ का उपयोग कोर्ट कि भाषा के रूप किआ जाये।**

**– विभाकर मिश्रा**
**एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट**
**राष्ट्रीय अध्यक्ष : भारत रक्षा मंच, विधि प्रकोष्ठ**

# प्रस्ताव – 4

## सरकारी जमीनों और संपत्ति से सभी प्रकार के अतिक्रमण को हटाया जाए और विशेषत : बढ़ते और फैलते हुए मजारों से जनसम्पति को मुक्त किया जाए

अवैध निर्माण या अतिक्रमण जैसे शब्द पिछले कुछ वर्षों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। कानून के शब्दों में – अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर गैरकानूनी तरीके से अधिकार कर लेता है, तो इसे अतिक्रमण (Encroachment) कहा जाता है। अतिक्रमण (Encroachment) का सबसे बड़ा कारण बढ़ती हुई आबादी ओर बांग्लादेशी घुसपैठ है। सरकारी तंत्र की लापरवाही व भ्रष्टाचार भी इसकी एक वजह है इसीलिए सरकारी जमीन का अतिक्रमण (Encroachment) सबसे अधिक होता है।

वैसे देखा जाये तो अतिक्रमण कई सदीयों से होता आ रहा है। प्राचीनकाल से काशी हमारी मोक्षनगरी है, ऐसा हिन्दू धर्मशास्त्र में उसका वर्णन है । हिन्दू जीवनदर्शन उसके बिना अपूर्ण है । इसलिए इस पवित्र भूमि पर औरंगजेब जैसे क्रुर शासक द्वारा किए अत्याचार से अतिक्रमण कर हांसिल किये हिन्दू मंदिरों को मुक्त करना आवश्यक है। उस दृष्टि से ज्ञानव्यापी में विराजमान अविमुक्तेश्वर भगवान को अतिक्रमण से मुक्त कराना हमारा प्रथम कर्तव्य है, ऐसी हिन्दू समाज की धारणा है । यही भारत रक्षा मंच का भी मत है । हिन्दू समाज ने अयोध्या स्थित श्रीरामजन्मभूमि का संघर्ष भी संयमपूर्वक किया और विजय प्राप्त की है। 'ज्ञानव्यापी' के संबंध में भी न्यायालयीन मार्ग से प्रयास हो रहे हैं । इसलिए जब तक ज्ञानव्यापी अतिक्रमणमुक्त नहीं होती, तब तक हमारा संघर्ष चलता ही रहेगा, ऐसा स्पष्ट प्रतिपादन भारत रक्षा मंचने किया है। ज्ञानव्यापी की सर्व वास्तविकता न्यायालय के सामने है । जिसके द्वारा वह हिन्दू मंदिर है, यह सिद्ध होगा, ऐसी हिन्दू समाज की श्रद्धा है । केवल प्राचीन काल में ही नहीं, अपितु आज भी बामियान की बुद्धमूर्ति हो अथवा तुर्किस्तान का 'हागिया सोफिया चर्च' हो, मुसलमानों की क्रुर मानसिकता सर्वत्र दिखाई देती है ।

देश में मुस्लिमों के द्वारा किया जा रहा एक लव जिहाद नाम का शब्द बहुत चर्चित है. इसी के बीच पिछले कुछ दिनों से या यूं कहें महीनों से एक नया शब्द सामने आया है. वो है 'लैंड जिहाद'। जी हां, Land Jihad यानि जमीन का जिहाद.

हमारे देश में मुस्लिम परिवारों का मोहल्ला अलग ही होता है। ज्यादातर लोग मुस्लिम बहुल इलाके में घर नहीं लेना चाहते और अगर कोई मुस्लिम परिवार अपने घर के पास घर ले ले तो तो फिर धिरे धिरे उसके आस–पास कई और मुस्लिम परिवार आ जाते है। मुस्लिम परिवार अपनी हरकतों के कारण हिंदुओं का जीना हराम कर देते हैं, फिर मजबूरी में हिंदुओं को अपने घर–बार कम दाम में बेचकर जाना होता है. ऐसे धीरे–धीरे कर पूरा मोहल्ला मुस्लिम बहुल हो जाता है। ये होता है लैंड जिहाद।

तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 'वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995' द्वारा मुसलमानों को पाशविक अधिकार

दिए हैं । इसलिए मुसलमानों की ही नहीं, अपितु हिन्दू, ईसाई और अन्य पंथियों की कोई भी संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, यह घोषित करने का अधिकार उन्हे मिला है । पहले सरकारी एवं निजी संपत्ति पर अतिक्रमण कर इस कानून का दुरुपयोग कर देशभर में बलपूर्वक भूमि हडपकर 'लैंड जिहाद' किया जा रहा है । परिणाम स्वरूप रेलवे, सुरक्षा दल के उपरांत देशभर में 8 लाख एकड़ से अधिक भूमि अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड के स्वामित्व की हो गई है। कांग्रेस ने मुसलमानों को दी हुई शक्ति और कानूनी अधिकार हिन्दू, ईसाई अथवा अन्य किसी पंथीय के पास नहीं है। भेदभाव करनेवाले इस कानून के विरोध में समस्त हिन्दुओं को संगठित होकर इस कानून की जड़ पर ही आघात करना चाहिए और केंद्र सरकार को यह कानून परिवर्तित करने हेतु बाध्य करना चाहिए।

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित तिरुचेथुरई नामक पूर्ण गांव को ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया गया है, यह धक्कादायक घटना कुछ समय पूर्व ही उजागर हुई है। इस कानून के कारण गुजरात स्थित हिन्दुओं का द्वारका द्वीप, सूरत महानगरपालिका, प्रयागराज स्थित चंद्रशेखर आजाद पार्क, ज्ञानवापी, मथुरा आदि अनेक स्थानों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने का कार्य तीव्र गति से प्रारंभ किया गया है जिसे रोकना अनिवार्य है।

तमिलनाडु के तिरुचेथुरई गांव में स्थित 2000 वर्ष प्राचीन हिन्दुओं का श्री चंद्रशेखर स्वामी का मंदिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे हो सकती है ? संसद द्वारा लैंड जिहाद के लिए बनाए गए कानून के कारण हिन्दुओं के घर, दुकान, खेती, भूमि और मंदिर भी अब सुरक्षित नहीं हैं । हिन्दुओं को किसी प्रकार के अधिकार नहीं हैं। हिन्दुओं की स्थिति विकट बना दी गई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत की साधन-संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उसी का कार्यान्वयन इस कानून द्वारा किया जा रहा है। हिन्दू दिन-प्रतिदिन इस कानून के जाल में गहन फंसता जा रहा है। यदि हिन्दू अभी संगठित नहीं हुए, तो औरंगजेब के समय हिन्दुओं की जो स्थिति थी, वैसी ही पुन: हो जाएगी।

हिन्दुओं के बडे मंदिर और संपत्ति सरकार ने अधिग्रहित कर ली है तथा दूसरी ओर मुसलमानों के धार्मिक स्थल अथवा संपत्ति को हाथ लगाने के स्थान पर उन्हें सुरक्षित करने का यह कानून बनाया गया है । यह हिन्दुओं के साथ किया गया छल कपट है । लैंड जिहाद के लिए अर्थात भूमि हडपने के लिए कानून द्वारा एक समानांतर व्यवस्था निर्माण की गई है । यह मुसलमानों को दिया गया हथियार ही है ।

द्वारका धाम एक अरब से भी ज्यादा हिंदुओं के 4 पवित्र धामों में से एक है। यही वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने सहपाठी सुदामा से मिले थे। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की लगभग 5,000 साल पुरानी एक प्राचीन मूर्ति है। पिछले कुछ वर्षों से इस पवित्र भूमि पर अवैध कब्जा करके लोगों ने यहां मजारें, दरगाहें, गोदाम और रिहाइशी इमारतें खड़ी कर दी थीं।

पिछले दिनो में गुजरात सरकार ने 50 से ज्यादा अतिक्रमणों को ढहाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और लगभग एक लाख वर्ग फुट सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया।

आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वार्थी तत्वों ने कैसे इस इलाके पर कब्जा कर लिया जिससे हिंदुओं को अपनी संपत्ति बेचने और द्वीप छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा? एक प्रसिध्ध टीवी चेनल के रिपोर्टर बेट द्वारका गए और वहां बने सभी अवैध ढांचों और अवैध कब्जों के बारे में जानकारी जुटाई। अवैध कब्जे के खिलाफ संयुक्त ध्वस्तीकरण अभियान को वहा की ओखा नगर पालिका और द्वारका जिला

प्रशासन के अधिकारियों ने मिलकर शुरू किया।

ऑपरेशन 'क्लीन-अप' के दौरान बालापर, अभयामाता मंदिर, हनुमान डांडी रोड, ओखा नगर पालिका वॉर्ड ऑफिस, धींगेश्वर महादेव मंदिर और कई अन्य इलाकों में अवैध निर्माण को तोड़ा गया। अतिक्रमणकारियों ने सरकारी बंजर भूमि और वन भूमि को भी नहीं बख्शा था।

अधिकारियों ने बुलडोजर से दरगाह सिद्दी बाबा, दरगाह बाला पीर, दरगाह कमरुद्दीन शाह पीर, हजरत दौलत शाह पीर और आलम शाह पीर की मजार को ध्वस्त कर दिया। किसी भी तरह के हंगामे को रोकने के लिए गुजरात पुलिस, राज्य रिजर्व पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के एक हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था। पूरे ऑपरेशन की निगरानी देवभूमि द्वारका के जिला कलेक्टर, राजकोट रेंज के IG पुलिस, SP रैंक के 3 अधिकारियों, 9 DSP और 20 इंस्पेक्टरों ने की थी।

लाखों हिंदुओं, विशेष रूप से कृष्ण भक्तों के इस पूजनीय स्थान पर इतने दरगाह और मजार कैसे बन गए? अपने धार्मिक महत्व के अलावा, बेट द्वारका का रणनीतिक महत्व भी है क्योंकि यह अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के काफी पास है। बेट द्वारका और कई अन्य छोटे द्वीप ओखा नगरपालिका के वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत आते हैं। पिछले कुछ सालों में बकायदा प्लान बनाकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किए गए।

सरकारी जमीन, खासतौर पर बंजर जमीन और वन भूमि के साथ-साथ हिंदू मंदिरों के आस-पास के इलाके भी अवैध कब्जा करने वालों के निशाने पर थे। अधिकांश अवैध निर्माणों को दरगाह और मजार का नाम दिया गया था। कब्जा की गई जमीन पर सी-फेसिंग रिहाइशी इमारतें खड़ी कर दी गई थीं। तटीय इलाकों में यह दिखाने के लिए गोदाम बना लिए गए थे कि अवैध निर्माण का इस्तेमाल मजहबी और सामुदायिक कामों के लिए किया जा रहा था।

जिला प्रशासन ने अवैध ढांचों और उनका निर्माण करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक सर्वे किया। जिन लोगों ने यहां अवैध कब्जे किए उनमें सालेह मोहम्मद संघार, अयूब सुमाणिया, तालिब लतीफ जडेजा, हामिद टी. जडेजा और हुसैन अलेना जडेजा के नाम मुख्य रूप से शामिल थे।

बेट द्वारका द्वीप अपने द्वारकाधीश मुख्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बेट-द्वारका और इसके आस-पास कुल 42 टापू हैं। मुख्य द्वीप के अलावा बाकी सारे टापू वीरान पड़े रहते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कई ऐसे टापुओं पर भी अवैध निर्माण हो गए जहां कोई रहता ही नहीं है। गुजरात की मुख्य भूमि से वहां जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। कोस्टल सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए धार्मिक स्थान के नाम पर बनी ऐसी इमारतें सिर दर्द बन जाती हैं। मजार या दरगाह के नाम पर अवैध काम किए जाते हैं।

बेट द्वारका भारत और पाकिस्तान की समुद्री सीमा से महज 58 समुद्री मील दूर है। हाल के दिनों में कोस्ट गार्ड्स ने पाकिस्तान के कई तस्करों को भारत की समुद्री सीमा में पकड़ा है, औ साथ ही ड्रग्स की खेप भी पकड़ी गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिली थी कि खाली टापुओं पर बनी ये धार्मिक इमारतें असल में तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रही थीं।

गुजरात पुलिस के राजकोट रेंज के IG संदीप सिंह ने उस वक्त बताया था कि बेट द्वारका में रहने वाले ज्यादातर लोग मछली पकड़ने का धंधा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से अवैध कारोबार से जुड़े कई

लोगों ने इन टापुओं पर डेरा जमाना शुरू कर दिया था। वे गुजरात की मुख्य भूमि से निर्माण सामग्री लाते थे और अवैध निर्माण करते थे। इन अवैध इमारतों को वे मजार या दरगाह का नाम दे देते थे ताकि धार्मिक इमारत होने के चलते उनका अवैध निर्माण बचा रहे और उनका गैरकानूनी धंधा चलता रहे।

गुजरात सरकार के ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान कई बाहुबलियों की रिहाइशी संपत्तियों को भी ढहाया गया था। इन बाहुबलियों में से एक का नाम सफर पांजरी है। पांजरी ने एंटी CAA -NRC प्रोटेस्ट के बहाने स्थानीय मुसलमानों को भड़काने का काम किया था। एक और बाहुबली जिसका घर बेट द्वारका में गिराया गया है उसका नाम हाजी गनी पिलानी है। उसका एक बेटा ड्रग्स तस्करी के आरोप में भारत की जेल में बंद है तो दूसरा बेटा पाकिस्तान में सलाखों के पीछे है।

बेट द्वारका की आबादी अभी 10 हजार के आस-पास है, जिसमें हिंदुओं की संख्या 1,000 से 1,500 के बीच है और मुसलमान बहुसंख्यक हैं। पहले बेट द्वारका में गिनती के लोग रहते थे क्योंकि समुद्र होने के चलते यहां पीने के पानी की दिक्कत थी और रोजगार के साधन भी नहीं थे। धीरे-धीरे मछुआरों ने यहां रहना शुरू किया, लेकिन मुसलमानों की बढ़ती आबादी के चलते बहुत से हिंदू बेट द्वारका छोड़कर चले गए।

बेट द्वारका मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि हर साल 5-10 हिंदू परिवार बेट द्वारका छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई अवैध कब्जे से परेशान होकर बेट द्वारका छोड़ देता है, तो कुछ लोग यहां की अवैध गतिविधियों से तंग आकर चले जाते हैं। सरकार के ध्वस्तीकरण अभियान से बेट द्वारका मंदिर के पुजारी बेहद खुश हैं।

अतिक्रमण और अवैध मजारो के चलते कृष्ण की नगरी बेट द्वारका की डेमोग्राफी बिल्कुल बदल चुकी है। हिंदू परिवार धीरे-धीरे करके यहां से जा रहे हैं जबकि मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बेट द्वारका न सिर्फ हिंदू तीर्थ स्थल के लिहाज से बल्कि सुरक्षा के हिसाब से भी बहुत संवेदनशील है। पाकिस्तान की तटरेखा यहां से काफी नजदीक है। ड्रग तस्करों और माफिया को यह इलाका सूट करता है क्योंकि बेट द्वारका के आस-पास के बहुत से टापू वीरान रहते हैं।

यह अच्छी बात है कि प्रशासन अब ऐक्शन में आया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब यहां अवैध कब्जे हो रहे थे, जानबूझ कर अवैध तरीके से दरगाह और मजारें बनाई जा रही थीं, तब किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? इस सवाल का जवाब मिलना ज़रूरी है।

पिछले दिनो एसी ही एक बाड़ी कार्यवाही उत्तराखंड में कि गई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंडके वन विभाग ने कई अवैध मजारो को ध्वस्त कर लगभग 72 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। सीएम धामी के निर्देश पर जहां जंगलों में अतिक्रमण करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है वहीं अब अतिक्रमण हटाने में लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जंगलात की जमीन पर चल रहे लैंड जेहाद को रोकने के लिए धामी सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। वन विभाग अपनी जमीनों को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए कार्रवाई कर रहा है, जिसमें सबसे पहले जंगलों के बीच में सुनसान जगहों पर बने अवैध मजारों को हटाने का काम तेजी से चल रहा है।

इन अतिक्रमण में सबसे ज्यादा अवैध मजारे चिन्हित कि गई थी जिनका ध्वस्तीकरण किया गया। पछवा दून के एक ही गांव में 3 अवैध मजारो को ढहाया गया जबकि वन भूमि पर बनी तमाम मजारों को ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया है।

यह आश्चर्यजनक बात यह है कि कितनी बड़ी संख्या में लैंड जेहाद के तहत जंगलों में पक्की मजारें बना दी गई और मजार के आस पास की जमीन को भी पक्का कर दिया गया है। जिससे कि वहां पर अपने अवैध कब्जे को सही साबित करने का सबूत दिखाया जा सके। यहां तक की मजारों के आसपास के पेड़ों को भी सुखाकर जमीन को कब्जाने के खेल भी चल रहा है। इस तरह से वनसंपदा को भी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने की कोशिश अतिक्रमणकारियों द्वारा की गई है लेकिन वन विभाग की लापरवाही के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इन मजारों के बनाये जाने का किसी को पता नहीं चला और अतिक्रमणकारी आराम से जमीन कब्जाने में जुटे रहे।

वर्ष 2022 में जब जंगलात की जमीन पर लैंड जेहाद का खुलासा हुआ तो सरकार भी सकते में आ गई थी कि इतनी बड़ी संख्या में जंगलों में मजारे बना दी गई तो वन विभाग कहां था। सीएम की सख्ती के बाद जब लैंड जेहाद पर बुलडोजर चला तो यह बात साफ हो गई कि यह मजार सिर्फ जमीन कब्जाने के लिए ही बनाई गई थी क्योंकि इन मजारों के नीचे कहीं भी कोई मानव अवशेष नहीं मिले। हालांकि कुछ अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मजारों को हटाने के बाद वे फिर से उसी स्थान पर मजार बना देते हैं।

अतिक्रमण एक मुद्दा नहीं सच्चाई है और अब बड़ी समस्या भी बन गया है। सार्वजनिक स्थान तो जैसे इनकी संपत्ति है। कहीं भी कुछ भी निर्माण कर लेते हैं चाहे दुकान हो या मकान। इनके प्रति प्रशासन जब सजग होकर इनके घर, दुकान या ठेले हटवाने की मुहिम छेड़ता है तो ये आंदोलन पर उतर आते हैं। सड़कों के दोनों ओर अपना अधिकार मानकर कब्जा किए रहते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ अवैध तरीके से अपना व्यवसाय चलाते हैं। कभी-कभी तो अपनी दुकान के सामने किसी को खड़ा होने से भी रोक देते हैं, जबकि खुद अवैध तरीकों से दुकान हथियाए हुए हैं। कोई मान्यता इनके पास नहीं होती।

जहां देखा वहां घर बना लिया। रेलवे लाइन को देखें तो सब तरफ घर ही घर नजर आते हैं। ये कितने वैध हैं कितने अवैध ? अब मामला प्रकाश में आया है सब अपने पक्ष में बोल रहे हैं। कानून और कोर्ट की राय मानने को भी तैयार नहीं हैं। रेलवे की जमीन को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। कितनी ही जमीन जो रेलवे की है वहां लोगों ने अवैध तरीके से अपने घर बना लिए हैं। यदि उनके घर तोड़ते हैं तो उनके साथ अन्याय होगा और यदि कोई कार्रवाई नहीं करते तो लोगों के हौसले बढ़ते जाते हैं। जम्मू काश्मीर हो, हल्द्वानी हो, अयोध्या हो या अन्य कोई भी गांव, शहर, कस्बा, कितने ही लोगों ने सरकारी एवं निजी जमीनें अतिक्रमण कर अवैध तरीके से हथिया ली हैं।

हमने जो मुद्दो पर बात कि यह तो वह मुद्दे है जिनमे न्यायालय मे जाना पड़ा ओर जनता को आंदोलन का सहार लेना पड़ा लेकिन ऐसे हाजारो लाखो प्रकरण है जो रास्तो के बिच मे, धार्मिक स्थानो के पास मे अतिक्रमण कर ईस तरह के अवैध निर्माण किये जाते है जिनको सरकार अनदेखा करती है। इसलीये हमारी मांग है की किसी भी प्रकार का सरकारी भूमिपर अतिक्रण है तो उसे विवादीत होने से पहेले ही उसे मुक्त कराया जाये। क्योंकी एसे लाखो अतिक्रमण है जिस पर सरकार ध्यान नही देती कृपया ध्यान दे ओर

सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाये ये भारत रक्षा मंच की मांग है।

पहले चबूतरा बनाना, उस पर चादर चढाना, उसके उपरांत चबूतरे के चारों ओर संरक्षक दीवार का निर्माण करना यह धर्मांधों के लैंड जिहाद के अलग-अलग स्तर हैं, यह ध्यान में लें ! अवैध निर्माण की ओर अनदेखी करने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए !

सामने हो रहा इस्लामी अतिक्रमण किसी को भी कैसे नहीं दिखा ? निद्रिस्त हिन्दुओं ने अब तो जागरूक और संगठित होकर धर्मांधों के इस 'लैंड जिहाद' के षड्यंत्र को निष्फल करना चाहिए।

भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 441 भूमि एवं संपत्ति के अतिक्रमण पर लागू होती है। धारा 441 के अनुसार, अतिक्रमण तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की संपत्ति को अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास करता है। यह एक अपराध है। भूमि अतिक्रमण (Encroachment) पर IPC की धारा 447 के तहत जुर्माने का प्रावधान है। फिर भी देश मे इन दंड संहिता का ठीक से अमल नही होता ओर अवैध तरीके से अतिक्रमण होता आ रहा है।

इसीलिये हमारी मांग है की, देश की सभी सरकारी जमीनों और संपत्ति से सभी प्रकार के अतिक्रमण को हटाया जाए और विशेषत : बढ़ते और फैलते हुए मजारों से जनसम्पति को मुक्त किया जाए

**- लक्ष्मीनारायण शर्मा**
**राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं**
**पश्चिम क्षेत्र संगठन प्रमुख ( राजस्थान एवं गुजरात ) : भारत रक्षा मंच**

# प्रस्ताव – 5

## समान नागरिक संहिता ( UCC ) को जल्द से जल्द लागू किया जाये

समान नागरिक संहिता का विचार भारत के सभी नागरिकों के बीच औपचारिक समानता लाना है। चूंकि एक ही देश में अलग-अलग व्यक्तिगत कानून होना भारतीय संविधान के आदर्शों के मूल दर्शन यानी अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार) के बिल्कुल विपरीत है।

**कानून दो प्रकार के होते हैं,**

पहला है सार्वजनिक कानून, ये भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़े हैं।

दूसरी ओर व्यक्तिगत कानून हैं, वे कानून जो सभी पर समान रूप से लागू नहीं होते हैं, लेकिन विशेष रूप से रीति-रिवाज और परंपरा के आधार पर कुछ समुदायों पर लागू होते हैं।

उदाहरण जैसे- हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम शरीयत लॉ।

व्यक्तिगत कानून विवाह, तलाक, भरण-पोषण और दत्तक ग्रहण आदि मामलों से संबंधित हैं।

ईस मामले में, यदि कोई व्यक्ति विशेष समुदाय से संबंधित व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित नहीं होना चाहता है तो उसके पास हमेशा विशिष्ट विवाह अधिनियम जैसे विशेष अधिनियम के लिए जाने का विकल्प होता है।

समान नागरिक संहिता का अर्थ है, नागरिकों के धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत कानून जो सभी पर लागू होते हैं चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।

भारत के संविधान की धारा-44 कहती है, राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने यूसीसी को मौलिक अधिकारों में नहीं बल्कि डीपीएससी में डाला, जबकि मौलिक अधिकारों की प्रकृति न्यायालय द्वारा न्यायसंगत है।

पूर्व में अंग्रेजों के शासन काल मे भी, UCC लागू करने का जिक्र हुआ था । यूसीसी का जिक्र मोदी सरकार से भी पहले हो चुका है। दरअसल, 1835 में ही ब्रिटिश सरकार ने अपराधों, सबूतों और कई अन्य विषयों पर समान नागरिक कानून लागू करने की बात कही थी। हालांकि, उस रिपोर्ट में हिंदू या मुस्लिम धार्मिक कानून को बदलने को लेकर कोई बात नहीं थी।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भी यूसीसी का जिक्र किया था। 1948 में संविधान सभा की बैठक में

आंबेडकर ने यूसीसी को भविष्य के लिए अहम बताया था और इसे स्वैच्छिक रखने की बात कही गई थी। आंबेडकर कई राजनीतिक दिग्गजों के साथ समान नागरिक संहिता के प्रस्तावक थे।

संविधान सभा की बहस के दौरान आंबेडकर ने कहा था, समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ भी नया नहीं है। विवाह, विरासत के क्षेत्रों को छोड़कर देश में पहले से ही एक समान नागरिक संहिता मौजूद है, जो संविधान के मसौदे में समान नागरिक संहिता के मुख्य लक्ष्य हैं।

देश आजाद होने के बाद यूसीसी का जिक्र उस समय हुआ जब तीन तलाक का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दरअसल, ये चर्चित शाह बानो केस है, जिसमें इंदौर के एक वकील ने उन्हें तीन तलाक दे दिया था।

शाह बानो का निकाह छोटी उम्र में ही 1932 हो गया था और उसके 5 बच्चे थे। इस बीच 14 साल बाद उसके पति अहमद खान ने दूसरा निकाह कर लिया। शाह बानो पहले तो अपने पति के साथ रह रही थी, लेकिन बाद में दोनों में झगड़ा हुआ तो दोनों ने समझौता कर अलग होने का फैसला किया। समझौते के तहत शाह बानो को उसके पति ने 200 रुपये देने थे, लेकिन बाद में वो मुकर गया। ऐसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस। गुजारा भत्ता न दिए जाने के 62 साल बाद शाह बानो ने इंदौर के एक अदालत का रुख किया। अदालत में पति ने मुस्लिम लॉ बोर्ड का हवाला देते हुए कहा कि वो गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने उसे 20 रुपये देने का निर्देश दिया।

इतने कम पैसों से शाह बानो का घर नहीं चल पा रहा था, इसके चलते उसने बाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए पति को 179 रुपये देने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट के फैसले से जब पति संतुष्ट नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने हाई कोर्ट के फैसले को पलटने की मांग की। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 में हाई कोर्ट के फैसले को सही करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद एक बड़ी टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि देश में अब समान नागरिक संहिता की जरूरत महसूस हो रही है।

गोवा में यह कानून पहले से लागू है। गोवा को संविधान का विशेष दर्जा मिला है। वहाँ पे सभी धर्म और जातियों के लिए फैमिली लॉ लागू है। इसके तहत सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार के कानून समान हैं।

वहीं असम, उत्तराखंड और गुजरात की भाजपा सरकारों ने इसे लागू करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। संसद में संविधान सभा की बहस के अनुसार यह साबित हो गया था कि, संविधान के निर्माण के समय अल्पसंख्यक धर्मनिरपेक्ष कानूनों के पक्ष में पर्सनल लॉ को खोने में सहज नहीं थे।

इसलिए, यूसीसी को लागू करने की जिम्मेदारी भावी पीढ़ी को हस्तांतरित कर दी गई, अब ऐसा लगता है कि इस समय में यूसीसी को अनिवार्य रूप से लागू करने का समय आ गया है।

1) यूसीसी लागू होने से पूरे देश में बहुत सुधार आएगा और धर्म के प्रति प्रतिद्वंद्विता समाप्त हो जाएगी।

2) ऐसे कानूनों के कार्यान्वयन से एकरूपता आएगी, यह संभव हो सकता है कि कार्यान्वयन के बाद यह एक सांस्कृतिक जातीयता के रूप में कार्य करेगा।

3) यूसीसी के कार्यान्वयन से सीमावर्ती राज्यों में एक बड़ा संभावित परिवर्तन आएगा। जैसेकि पूर्व उत्तरांचल के प्रदेश जो स्वयं बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी राज्य है, यह बहुसांस्कृतिक समुदायों का जुड़ाव लाएगा।

4) यूसीसी के कार्यान्वयन से नई पीढ़ियों के बीच यह विश्वास बनेगा कि एक ही कानून सभी समुदायों को एक ही खतरे में बांध सकता है जिससे कुछ विवादित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल बनेगा।

दूरदर्शी राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार, इस छोटे से कानून के कार्यान्वयन से हम आगामी दशकों में विश्वगुरु के रूप में उभरेंगे।

**- सुजीत पाठक**

**राष्ट्रीय मंत्री व संगठन प्रमुख ,पूर्व भारत क्षेत्र : भारत रक्षा मंच**

# समापन मंत्र

पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक, अविरत साधना,
निशदिन, प्रतिपल चलती आई राष्ट्रधर्म आराधना ।
वन्दे मातृभूमि वन्दे वंदे जगजननी वन्दे....

# भारत रक्षा मंच वर्ग गीत

करवट बदल रहा है देखो, भारत का इतिहास ।
जाग उठा है हिन्दू हृदय में, विश्व विजय विश्वास ॥ ध्रुवपद ॥
सदियों से विस्मृत गौरव का, भारत माँ परिचय देगी ।
सौम्य शान्ति सुखदायी जननी, नवयुग नवजीन देगी।
उस जीवन दर्शन से होगा, मानव धर्म विकास ॥ ध्रु ॥
ग्रीक मिटे यूनान मिट गये, भरतभूमि है अविनाशी ।
आदि अनादि अनंत राष्ट्र है. संस्कृति शुचिता अभिलाषी ।
भोगवाद के महल ढ़र रहे, होगा सबका विकास ॥ ध्रु ॥
सत्रह बार क्षमा अरिदल को, ऐसी भूल न अब होगी ।
कोटि कोटि हाथोंवाली माँ, ना अबला कहलायेगी।
देश विघातक षड़यंत्रों का, निश्चित निकट विनाश ॥ ध्रु॥
भारत रक्षा मंच की शाखा, भारतभर में फैल रही ।
हिन्दुराष्ट्र की विजय पताका, लहर लहर ललकार रही ।
सिध्धान्तनिष्ठ ही पूरी करेंगे, परिवर्तन की आस ॥ ध्रु॥
जाग उठा है हिन्दू हृदय में विश्व विजय विश्वास ।
करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास ॥

**भारत माता की जय**

## यह तो शास्वत सत्य है
## भारत हिन्दू राष्ट्र है ॥


**केंद्रीय कार्यालय**

सावरकर भवन, ई-7/एम-157 अरेरा कालोनी, भोपाल-462039.

**दिल्ली सम्पर्क कार्यालय**

3 विट्ठल भाई पटेल हाउस, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001.